

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

—: आदेश :—

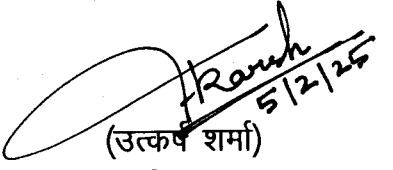
संख्या:- 11/डी०-05-01/2024-

530

पटना, दिनांक :- 05-2-2025

विभागीय आदेश सं०-2967 दिनांक-31.07.2024 द्वारा कार्यहित में DPR Monitoring Cell में प्रतिनियुक्त श्री अजीत कुमार (आई०डी०-5664), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल बाँध एवं बराज अवर प्रमंडल-1, मोहम्मदगंज तथा मुख्य अभियंता का कार्यालय, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन प्रतिनियुक्त सुश्री शैल्वी सिंह (आई०डी०-5735), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गंगा पम्प नहर अवर प्रमंडल, बाराहाट एवं श्री कुमार स्वस्तिक तुषार (आई०डी०-5866), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमंडल-5, उदेंरास्थान की प्रतिनियुक्ति को अगले छः (06) माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

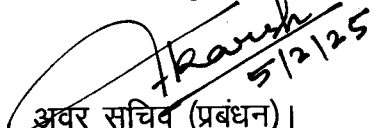

(उत्कर्ष शर्मा)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 11/डी०-05-01/2024-

530

पटना, दिनांक :- 05-2-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

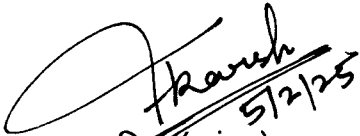

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:-11/डी०-05-01/2024-

530

पटना, दिनांक :- 05-2-2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद/भागलपुर/नालंदा (बिहारशरीफ)/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-4, पटना/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता (असैनिक)/प्रशाखा पदाधिकारी-8, 10 (निजी संचिका में संधारण हेतु), 15 एवं 24 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को (विभागीय/Common Integrated Website पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।